(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 01/2023- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या - सीबीआईसी -190354/21/2023- टीओ (टीआरयू -II) सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या- 9/2017 -एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 सा.का.नि 927 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।